भारत सरकार
विदेश मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 157

दिनांक 02.02.2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

'नेबरहुड फर्स्ट नीति'

157. **प्रो. रीता बहुगुणा जोशी:**
डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे:
श्री विवेक नारायण शेजवलकरः
श्री कृष्णपाल सिंह यादवः
श्री उन्मेश भैय्यासाहेब पाटिलः
डॉ. हिना विजयकुमार गावीतः
डॉ.सुजय विखे पाटीलः

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का वैश्विक मंच पर भारत के हित को बढ़ावा देने हेतु क्षमता–विकास पर ध्यान केंद्रित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो उक्त कार्य हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) 'नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी', 'एक्ट ईस्ट पॉलिसी', 'थिंक वैस्ट पॉलिसी' और 'कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी' जैसी नीतियों का ब्यौरा क्या है;

(घ) इन नीतियों से सरकार के 'सागर' अभियान में किस प्रकार मदद हुई है;

(ङ) क्या देश को जी–20 सम्मेलन की अध्यक्षता के सफल संयोजन के कारण कोई मूर्त और अमूर्त लाभ प्राप्त हुए हैं, और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
विदेश राज्य मंत्री
(डॉ. राजकुमार रंजन सिंह)

(क) और (ख) जी हाँ। सरकार ग्लोबल साउथ से संबंधित देशों और अन्य सहभागी राष्ट्रों के लिए क्षमता निर्माण पर ध्यान केंद्रित करती है, ताकि हमारी व्यापक विकास साझेदारी संबंधी पहलों के माध्यम से वैश्विक मंच पर भारत के हित को बढ़ावा दिया जा सके, जो हमारी विदेश नीति का एक मुख्य तत्व है। हमारा विकास सहयोग दक्षिण–दक्षिण सहयोग के सिद्धांतों पर आधारित है और इसमें हम आवश्यकता–आधारित मानव–केंद्रित विकास पर ध्यान केंद्रित करते हैं। क्षमता निर्माण संबंधी सहायता भारत की विकास साझेदारियों का महत्वपूर्ण भाग है और इसे प्रमुख 'भारतीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग (आईटीईसी) कार्यक्रम' के तहत प्रदान किया जाता है। लगभग 160 देश

वार्षिक आधार पर इन छात्रवृत्तियों का लाभ उठाते हैं। प्रत्येक वर्ष नागरिक और रक्षा, दोनों पाठ्यक्रमों के लिए 14,000 से अधिक प्रशिक्षण स्लॉट प्रदान किए जाते हैं। साझेदार देशों के विशिष्ट अनुरोधों के अनुसार, अनेक सामान्य और विशिष्ट पाठ्यक्रमों के माध्यम से प्रत्येक वर्ष 300 से अधिक अल्पकालिक पूर्ण वित्त पोषित पाठ्यक्रम उपलब्ध कराए जाते हैं। क्षेत्रीय संगठनों के सचिवालयों को क्षेत्रीय आधार पर प्रशिक्षण स्लॉट भी प्रदान किए जाते हैं ताकि वे अपने सदस्य देशों से उम्मीदवारों को नामांकित कर सकें। इसके अलावा, नए प्रोत्साहन के भाग के रूप में, आईटीईसी ने 2023–24 में पहली बार क्षमता निर्माण संबंधी पाठ्यक्रमों के क्षेत्र–केंद्रित पैकेज विकसित किए हैं। दो सबसे प्रमुख पैकेज हैं प्रशांत द्वीप देशों के लिए विकसित 'सागर अमृत' पैकेज तथा भारत–प्रशांत क्षेत्र के देशों के लिए अवसंरचना विकास से संबंधित क्षमता निर्माण कार्यक्रमों पर ध्यान केंद्रित करने वाला क्वाड इंफ्रास्ट्रक्चर फेलोशिप (क्यूआईएफ) पैकेज। सरकार सहभागी देशों के अनुरोधों और आवश्यकताओं के अनुसार हमारी क्षमता निर्माण पहुंच में वृद्धि हेतु प्रतिबद्ध है।

(ग) से (च) भारत की विदेश नीति का मुख्य केंद्रबिंदु अभी भी इसका निकटस्थ और विस्तारित पड़ोसी क्षेत्र है। इस क्षेत्र के देशों के साथ भारत के ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंध हमारे पड़ोसी क्षेत्र और उससे आगे के क्षेत्र के प्रति हमारे दृष्टिकोण का मार्गदर्शन करते रहते हैं। 'पड़ोस प्रथम नीति', 'एक्ट ईस्ट नीति', 'थिंक वैस्ट नीति', 'कनेक्ट सेंट्रल एशिया नीति' और 'सागर' संबंधी दृष्टिकोण, अर्थात् क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास, क्रमशः संबंधित देशों के साथ हमारी भागीदारी में व्यापक रूप से वृद्धि करने का प्रयास करते हैं। इन नीतियों का विवरण अनुबंध 'क' में दिया गया है।

भारत की जी20 अध्यक्षता से जी20 को एक नई गतिशीलता और बल प्राप्त हुआ तथा अनेक वैश्विक मुद्दों पर विकासशील देशों और उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के बीच आम सहमति बनी। भारत की जी20 अध्यक्षता के दौरान, सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को शामिल करते हुए, समग्र भारत के 60 शहरों में 40 विभिन्न तंत्रों में 220 से अधिक बैठकें सफलतापूर्वक आयोजित की गईं। इन बैठकों में जी20 सदस्य देशों, अतिथि देशों और आमंत्रित अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इन बैठकों में भारत की विविधता, समावेशी परंपराओं और सांस्कृतिक समृद्धि को प्रदर्शित करने वाले विशिष्ट अनुभव भी प्रतिनिधियों के कार्यक्रम में शामिल थे।

भारत ने जी20 शिखर सम्मेलन की कार्यसूची और विचार–बिन्दुओं को आकार देने में ग्लोबल साउथ और विकासशील देशों की आवाज़ और इनकी चिंताओं को भी स्थान दिया। भारत ने अफ्रीकी संघ की सदस्यता का प्रबल समर्थन किया और इसके परिणामस्वरूप सितंबर 2023 में नई दिल्ली जी20 शिखर सम्मेलन में अफ्रीकी संघ को स्थायी सदस्य के रूप में जी20 में शामिल किया गया। जी20 नई दिल्ली जी20 नेताओं का घोषणापत्र (एनडीएलडी) 09 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में जी20 नेताओं के शिखर सम्मेलन में सर्वसम्मति से अंगीकृत किया गया तथा इस घोषणापत्र में ग्लोबल साउथ सहित पूरे विश्व के देशों की चिंताओं से जुड़े अनेक मुद्दों पर विचार किया गया है। इस घोषणापत्र में भारत के नेतृत्व वाली पहलों का भी उल्लेख किया गया है, जैसे 'ग्लोबल बायोफ्यूल्स एलायंस' जिसका उद्देश्य परिवहन क्षेत्र को शामिल करते हुए, सहयोग को सुविधाजनक बनाना और स्थायी जैव ईंधन के उपयोग को तीव्र करना है तथा 'वन फ्यूचर एलायंस' जो एक स्वैच्छिक पहल है जिसका उद्देश्य निम्न और मध्यम आय वाले देशों में क्षमता निर्माण करना तथा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (डीपीआई) को कार्यान्वित करने के लिए तकनीकी सहायता और पर्याप्त वित्त पोषण सहयोग प्रदान करना है।

*****

अनुबंध–क

पड़ोस प्रथम नीति

भारत की 'पड़ोस प्रथम नीति' इसके निकटस्थ पड़ोसी देशों, अर्थात् अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका के साथ संबंधों के प्रबंधन के प्रति इसके दृष्टिकोण का मार्गदर्शन करती है। 'पड़ोस प्रथम नीति' का उद्देश्य, अन्य बातों के साथ–साथ, पूरे क्षेत्र में वास्तविक, डिजिटल और लोगों के पारस्परिक संपर्क में वृद्धि करना, और साथ ही व्यापार एवं वाणिज्य को बढ़ावा देना है। यह नीति सरकार की ऐसी सभी संबंधित शाखाओं के लिए एक संस्थागत प्राथमिकता बन गई है जो हमारे पड़ोसी देशों के साथ संबंधों और नीतियों का प्रबंधन करती हैं।

एक्ट ईस्ट नीति

दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र के देशों के साथ संबंधों को और सुदृढ़ करने के उद्देश्य से, 1992 में आरंभ की गई भारत की 'लुक ईस्ट नीति' का दर्जा बढ़ाकर 2014 में इसे 'एक्ट ईस्ट नीति' कर दिया गया, जिसके तहत भारत– प्रशांत क्षेत्र में विस्तारित पड़ोसी क्षेत्र पर सक्रिय और व्यावहारिक रूप से ध्यान केंद्रित किया गया। भारत की एक्ट ईस्ट नीति का उद्देश्य भारत–प्रशांत क्षेत्र के देशों के साथ आर्थिक सहयोग, सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देना तथा रणनीतिक संबंधों का विकास करना है। 'एक्ट ईस्ट नीति' के तहत व्यापक अर्थों में कनेक्टिविटी को क्षेत्र के विकास और समृद्धि के मूल मंत्र के रूप में चिह्नित किया गया है, जिसमें वास्तविक, डिजिटल, आर्थिक और लोगों की पारस्परिक आवाजाही शामिल है। दक्षिण–पूर्व एशियाई देशों के संगठन (आसियान) के साथ भारत का संबंध भारत की 'एक्ट ईस्ट नीति' के मूल में निहित है। इसके अलावा, इस क्षेत्र के देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों को सुदृढ़ करने के साथ–साथ, भारत ने इस क्षेत्र में विभिन्न बहुपक्षीय और बहुलवादी संस्थाओं में भी अपनी भागीदारी बढ़ाई है, जैसे आसियान, पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन, आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक, आसियान क्षेत्रीय मंच, विस्तारित आसियान समुद्री मंच, क्वाड, इत्यादि।

थिंक वैस्ट नीति

खाड़ी क्षेत्र और पश्चिम एशियाई देशों तक भारत की पहुंच उसकी विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बन गई है। यह क्षेत्र पारंपरिक रूप से भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण रहा है। इस क्षेत्र में भारतीय प्रवासियों का कल्याण भी एक उच्च प्राथमिकता है। 'थिंक वैस्ट नीति' के तहत, इन देशों के साथ भारत के संबंध सहयोग के पारंपरिक क्षेत्रों से आगे बढ़ गए हैं। पश्चिम एशिया के देशों के साथ संबंध निरंतर होने वाली उच्च–स्तरीय यात्राओं, व्यापार और निवेश में वृद्धि तथा विभिन्न क्षेत्रों, जिनमें ऊर्जा, सुरक्षा, रक्षा, संस्कृति, शिक्षा, स्वास्थ्य और निवेश में वृद्धि शामिल हैं, में संबंधों को सुदृढ़ करने के माध्यम से लगातार प्रगाढ़ हो रहे हैं।

कनेक्ट सेंट्रल एशिया नीति

'कनेक्ट सेंट्रल एशिया नीति' में मध्य एशियाई क्षेत्र के साथ गहन, सार्थक और सतत सहभागिता की परिकल्पना की गई है। इसे इस दिशा में किए गए सतत प्रयासों, विशेष रूप से 'भारत–मध्य एशिया शिखर सम्मेलन' तंत्र के संस्थानीकरण द्वारा कार्यान्वित किया गया है। 'कनेक्ट सेंट्रल एशिया नीति' मध्य एशियाई क्षेत्र के साथ भारत के ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों का लाभ उठाने तथा रणनीतिक और सुरक्षा सहयोग, क्षमता निर्माण, आर्थिक और वाणिज्यिक सहयोग, कनेक्टिविटी में वृद्धि और लोगों के पारस्परिक संबंधों को सुदृढ़ करने पर भी ध्यान केंद्रित करती है।

सागर

'क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास' (सागर) अवधारणा को पहली बार प्रधान मंत्री द्वारा 2015 में मॉरीशस में व्यक्त किया गया था। इस अवधारणा के तहत, भारत एक स्वतंत्र, मुक्त, समावेशी, शांतिपूर्ण और समृद्ध भारत–प्रशांत क्षेत्र की परिकल्पना करता है जो एक नियम–आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था, सतत एवं पारदर्शी अवसंरचना निवेश, नेविगेशन और ओवरफ्लाइट की स्वतंत्रता, बाधा–रहित वैध वाणिज्य, संप्रभुता हेतु पारस्परिक सम्मान,

विवादों के शांतिपूर्ण समाधान तथा सभी देशों की समानता पर आधारित हो। 'सागर' द्वारा निर्देशित होते हुए, भारत हिंद महासागर क्षेत्र में कनेक्टिविटी, क्षमता निर्माण, आपदा प्रबंधन, लोगों के पारस्परिक आदान–प्रदान में वृद्धि, सतत विकास संवर्धन, अवैध, असूचित, अनियमित मत्स्यन के संबंध में जागरूकता का सृजन, समुद्री सुरक्षा और संरक्षा में वृद्धि और इसके साथ–साथ अंडरवॉटर डोमेन जागरूकता को सुदृढ़ करने में पूर्ण योगदान दे रहा है।

*****